# कैंसर पीड़िता को नहीं मिली थी एंबुलेंस, अब देने होंगे तीन लाख

## बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पीड़िता को मदद नहीं मिलने के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर कैंसर पीड़ित महिला को समय पर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध न होने को गंभीर लापरवाही मानते हुए पीड़ित परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस राशि में से एक लाख रुपये रेलवे प्रशासन और दो लाख रुपये राज्य सरकार को अदा करने होंगे। मूलतः मध्यप्रदेश के बुढ़ार की रहने वाली रानी बाई कैंसर से पीड़ित थीं। बीते माह रायपुर से बिलासपुर आकर वह ट्रेन के माध्यम से बुढ़ार लौट रही थीं। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी मृत्यु हो गई। शव को कुली की मदद से स्ट्रेचर पर गेट नंबर एक तक लाया गया, जहां पहले से उपलब्ध एंबुलेंस का ड्राइवर मौके से गायब था। काफी देर बाद जब ड्राइवर आया तो शव ले जाने से इंकार कर दिया। मजबूर होकर परिजनों ने निजी प्रयास से दूसरी एंबुलेंस का इंतजाम किया और करीब एक घंटे बाद शव को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

घटना के सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में पंजीबद्ध कर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की खंडपीठ ने इस मामले को दंतेवाड़ा जिले में एंबुलेंस नहीं मिलने से मरीज की मृत्यु के प्रकरण के साथ जोड़कर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे दोनों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि राज्य की मुफ्त स्वास्थ्य योजनाओं के बावजूद आम जनता को आवश्यक चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है। कोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है।

**2 लाख रुपये सरकार और एक लाख रेलवे देगी**

● फाइल फोटो

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और बिलासपुर रेलवे मंडल के महाप्रबंधक (जीएम) से स्पष्टीकरण तलब किया था। सोमवार को अंतिम सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि जरूरत के समय पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं मिल सकी, इसलिए उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये दिए जाने चाहिए।

कोर्ट के आदेशानुसार, रेलवे प्रशासन एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देगा और राज्य सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाहियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग और रेलवे को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

AnyScanner